

28-5-24

पत्रावली पेश हुई।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों में
व्यस्त है। अतः इत्यादि होकर पत्रावली
आइन्दा 11-6-24 को पेश हो। 4

11-6-24

पत्रावली आज पेश हुई।
वादी वकील उपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। न्यायालय
में राजस्व वाद दिनांक 15.12.2021 को दर्ज करने के बाद
वादी वकील को प्रतिवादीगण के सम्मन डाक रजिस्टर्ड
भेजने के आदेश दिये गये थे। परन्तु वादी वकील द्वारा
आज तक प्रतिवादीगण के सम्मन पेश नहीं किये। वादी
वकील को सम्मन तामिली हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने
बावजूद भी वादी वकील ने प्रतिवादीगण के सम्मन पेश
नहीं किये। लगभग दो वर्ष आठ माह का समय व्यतीत
होने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण नहीं
करवाई, तलबी के अभाव उक्त प्रकरण आदेश 09 नियम
05 सीपीसी के तहत वादी का राजस्व वाद अदम तकमील
में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) धौरासन्ना

